कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 246 / FP/UK/ROAD/10617/2015 :देहरादूनःदिनांकः 27 जुलाई, 2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र),
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–चमोली के अन्तर्गत परखाल–केदारकोट मोटर मार्ग के किमी0 13 के ग्राम कुश व कुशमहादेव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.753 है0 वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार की पत्र संख्या–8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 195 / 2015 / एफ0सी0 / 309 दिनांक 12–05–2016

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 418 / 12–1 दिनांक 30–07–2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है :–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.506 है0 ग्राम–डांगतोली सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 8,88,147.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 3.506 है0 ग्राम–डांगतोली सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, म्यूटेशन किये गये भूमि के अभिलेख की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 11,51,721.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा कराया जा चुका है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल जमा की गयी धनराशि रू0 20,39,868.00 मात्र के ऑनलाईन Paid रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation के वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,
27/7/20
(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

संख्या– / FP/UK/ROAD/10617/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, थराली।

(डी0जे0के0 शर्मा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी